रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936
No. 179] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 247(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 211 की उप-धारा (2), धारा 211 की उप-धारा (5), धारा 214 और धारा 217 की उप-धारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररुप, 1956 या इन नियमों के अधीन आने वाले विषयों पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विहित किसी अन्य नियम को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निरीक्षण, अन्वेषण और जांच) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.—**(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों के उपाबंध अभिप्रेत है;

(ग) "फीस" से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विहित फीस अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररुप" या "ई-प्ररुप" से इन नियमों के उपाबंध में दिए गए प्ररुप अभिप्रेत हैं जिसका उपयोग उससे संबंधित मामले के लिए किया जाएगा जिससे वे संबंधित हैं;

(ङ) "प्रादेशिक निदेशक" से केंद्रीय सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) शब्दों और पदों, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की नियुक्ति.—केंद्रीय सरकार अधिनियम के अधीन गंभीर धोखाधड़ी जांच पड़ताल कार्यालय (एसएफआईओ) के कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए यथा आवश्यक अन्वेषण, साइबर अपराध विज्ञान, वित्तीय लेखा, प्रबंधन लेखा, लागत लेखा और किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी।

4. सेवा की निबंधन और शर्तें.—धारा 211 की उप-धारा (5) के अधीन गंभीर धोखाधड़ी जांच पड़ताल कार्यालय के निदेशक, विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें निम्नलिखित होंगी—

(क) निदेशक की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारी स्कीम के अधीन प्रतिनियुक्ति नियमों द्वारा शासित होंगे;

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, स्वायत्त निकायों और ऐसे अन्य संगठनों से विशेषज्ञों की सेवा की निबंधन और शर्तें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार होंगी;

(ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, स्वायत्त निकायों और ऐसे अन्य संगठनों के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबंधन और शर्तें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार होंगे;

(घ) केंद्रीय सरकार विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं अथवा अन्य वृत्तिकों या वृत्तिक फर्मों को केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं की विनियोजन की स्कीम के अनुसार संविदा के आधार पर नियुक्त कर सकेगी।

5. प्रतिभूति—

(1) केंद्रीय सरकार, धारा 210 की उप-धारा (3) के अधीन आवेदक को किसी निरीक्षक की नियुक्ति से पूर्व नीचे दिए गए मानदण्ड के अनुसार और व्यय के संदाय के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगी—

क्र.सं.	पिछले वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार व्यापारावर्त (रुपए में)	प्रतिभूति की राशि (रुपए में)
1.	50 करोड़ रुपए तक का व्यापारावर्त	10,000 रुपए
2.	50 करोड़ रुपए से अधिक और 200 करोड़ रुपए तक का व्यापारावर्त	15,000 रुपए
3.	200 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापारावर्त	25,000 रुपए

(2) यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप अभियोजन हो तो आवेदक को उक्त प्रतिभूति प्रतिदाय कर दी जाएगी।

6. धारा 217 के अनुसार अनुरोध-पत्र.—(1) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रीति से अनुरोध-पत्र भेजा जाएगा।

IndiaCode

[फा. सं. 1/12/2013 (भाग-I)सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R. 247(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 211, sub-section (5) of Section 211, Section 214, sub-section (3) of Section 210, and sub-section (11) of Section 217, read with sub-sections (1) and (2) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other relevant rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Companies (Inspection, Investigation and Inquiry) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) ''Act'' means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) ''Annexure'' means the Annexure to these rules;

(c) ''Fees'' means the fees as specified in the Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014;

(d) "Form'' or "e form" means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;

(e) ''Regional Director'' means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;

(f) ''Section'' means the section of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and said rules.

3. Appointment of persons having expertise in various fields.—

The Central Government may appoint persons having expertise in the fields of investigations, cyber forensics, financial accounting, management accounting, cost accounting and any other fields as may be necessary for the efficient discharge of Serious Fraud Investigation Office (SFIO) functions under the Act.

4. Terms and Condition of service.—The terms and conditions of service of Director, experts and other officers and employees of the Serious Fraud Investigation Office under sub-section (5) of Section 211 shall be as unders—

(a) the terms and conditions of appointment of Director shall be governed by the deputation rules under the Central Staffing Scheme of Government of India;
(b) the terms and conditions of service of experts from the Central Government or the State Government or Union territory Government, Public Sector Undertaking, Autonomous Bodies and such other organizations shall be as per the recruitment rules which may be duly notified by the Central Government under article 309 of the Constitution of India;
(c) the terms and conditions of service of other officers and employees from the Central Government or the State Government or Union Territory Government, Public Sector Undertaking, Autonomous Bodies and such other organizations shall be as per the recruitment rules which may be duly notified by the Central Government under article 309 of the Constitution of India;
(d) the Central Government may appoint experts or consultants or other professionals or professional firms on contractual basis as per the Scheme of engagement of experts or consultants which may be duly approved by the Central Government.

5. Security.—

(1) The Central Government may before appointing an inspector under sub-section (3) of Section 210, require the applicant to give a security not exceeding twenty-five thousand rupees for payment of the costs and expenses of investigation as per the criteria given below—

S. No	Turnover as per previous year balance sheet (Rs.)	Amount of security (Rs.)
1	Turnover up to Rs. 50 crore	Rs. 10,000
2	Turnover more than Rs. 50 crore and up to 200 crore	Rs. 15,000
3	Turnover more than Rs. 200 crore	Rs. 25,000

(2) The security shall be refunded to the applicant if the investigation results in prosecution.

6. Letter of Request, as per Section 217.—The letter of request shall be transmitted in such manner as specified by the Ministry of Corporate Affairs.

[F. No. 01/12/2013 (Part-I) CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.